



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-03102025-266636
CG-CG-E-03102025-266636

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4299]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2025/ आश्विन 4, 1947

No. 4299]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ ASVINA 4, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 25 सितम्बर, 2025

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20 ड के अंतर्गत सूचना

का.आ. 4419(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) कि धारा 20 क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 30 जून, 2025 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या का आ. 2824, 28 जून, 2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वडसा गडचिरोली नई रेलवे लाईन परियोजना (49.5 कि.मी.), के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् गडचिरोली पत्रिका (गडचिरोली संस्करण) तारीख 02 जुलाई, 2025 एवं चौडेष्परी दर्शन (गडचिरोली संस्करण) तारीख 02 जुलाई, 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे; सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों की सुनवाई की गयी एवं उक्त अधिनियम की धारा 20घ के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र, राज्य के गडचिरोली जिले में विषेश रेल परियोजना अर्थात् वडसा गडचिरोली नई लाइन (49.5 कि.मी.) के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसे रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

वडसा गडचिरोली नई लाइन परियोजना

अ.क.	जिले का नाम	तहसिल	गाव का नाम	खातेदार का नाम व पता	सर्व्हे कमांक	भोगवटदार वर्ग	7/12 आराजी हे. आर	संपादन खालील क्षेत्र हे. आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गडचिरोली	गडचिरोली	महादवाडी	सुशिला संजय राखडे व इतर 22	19/1/1	1	1.24	0.13
कुल							1.24	0.13
1	गडचिरोली	गडचिरोली	गोगाव	पितांबर बोंडकु फुलझेले व इतर 03	179/1/अ	1	0.23	0.08
2				पितांबर बोंडकु फुलझेले व इतर 03	179/1/क	1	0.15	0.09
कुल							0.38	0.17
1	गडचिरोली	गडचिरोली	साखरा	कमला उमाकांत अंबादे व इतर 1	97/3	1	0.25	0.25
2				कमलाबाई नारायण गोहणे व इतर 23	128	1	0.10	0.02
3				कमलाबाई नारायण गोहणे व इतर 23	127	1	0.35	0.03
कुल							0.70	0.30

[फा. सं. सीएओ/सी/बी.एस.पी./वडसा-गडचिरोली/गडचिरोली जिला/गडचिरोली/20 इ/1]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 25th September, 2025

S.O 4419(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), number S.O. 2824 (A), dated the 30 June, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ii, section 3, Sub-section (ii), dated the 28 June, 2025 and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (here in after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely “Wadsa – Gadchiroli New Rail line (49.50 KM) Project” in Gadchiroli District in the State of Maharashtra

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Gadchiroli patrika (Gadchiroli Edition) of dated 02 July, 2025 & Chaundeshwari darshan (Gadchiroli Edition) of dated 02 July, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20 D of the said act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Wadsa - Gadchiroli New line (49.50Km) in Gadchiroli District in the State of Maharashtra:-

Wadsa - Gadchiroli New line Project								
Sl. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Name of Account holder & Address	Survey Number	Category of Land holding	Total area as per 7/12 (Ha)	Acquisition Area in (H.R./ Sq.M)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gadchiroli	Gadchiroli	Mahadwadi	Sushila Sanjay Rakhde & others 22	19/1/1	1	1.24	0.13
Total							1.24	0.13
1	Gadchiroli	Gadchiroli	Gogaon	Pitambar Bondku Fulzele & others 03	179/1/A	1	0.23	0.08
2				Pitambar Bondku Fulzele & others 03	179/1/C	1	0.15	0.09
Total							0.38	0.17
1	Gadchiroli	Gadchiroli	Sakhara	Kamla Umakant Ambade & others 1	97/3	1	0.25	0.25
2				Kamalbai Narayan Gohane & others 23	128	1	0.10	0.02
3				Kamalbai Narayan Gohane & others 23	127	1	0.35	0.03
Total							0.70	0.30

[F. No. CAO/C/BSP/Wadsa-Gadchiroli/Gadchiroli District/Gadchiroli/20E/1]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Con.)